प्रेस नोट
दिनांक 18.09.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 02 मोटरसाईकिल चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–689/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 मोटरसाईकिल चोरों–01.भोलेनाथ प्रजापति पुत्र रामलोटन प्रजापति नि0 फैजाबाद रोड ठाकुरद्वारा मंदिर थाना को0नगर जनपद गोण्डा, 2. राजू पुत्र दयाराम नि0 फोरबिसगंज (कचहरी) थाना को0नगर जनपद गोण्डा को स्टेशन रोड से रानीजोत जाने वाली सड़क से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 14.09.2024 को वादी रामराज मौर्या पुत्र रक्षाराम मौर्या नि0 बरा निजाम पोस्ट पुरैना बाजार जनपद बहराइच द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी की दिनांक 13.09.2024 को मै अपने परिवार के ईलाज हेतु जिला अस्पताल गोण्डा आया था, वही से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 18.09.2024 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों–01. भोलेनाथ प्रजापति, 02. राजू को स्टेशन रोड से रानीजोत जाने वाली सड़क से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. भोलेनाथ प्रजापति पुत्र रामलोटन प्रजापति नि0 फैजाबाद रोड ठाकुरद्वारा मंदिर थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
02. राजू पुत्र दयाराम नि0 फोरबिसगंज (कचहरी) थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–689/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल नं0– यू0पी0 40 ए0डी0 0058

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 बृह्मनन्द सिंह।
02. उ0नि0 विपुल कुमार पाण्डेय।
03. का0 प्रभाकर यादव।
04. का0 संदीप कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 18.09.2024

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0–246/2024, धारा 331(4),305,317(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र नागेश्वर प्रसाद वर्मा नि0 ग्राम छोटकई डीह मौजा त्रिभुवन नगर ग्रण्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को इमलिहवा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः–
दिनांक 04.09.2024 को वादी श्री ओमप्रकाश पुत्र रामानन्द ग्राम गंगापासी पुरवा मौजा त्रिभुवन नगर ग्रण्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 01.09.2024 की रात्रि अज्ञात चोरो द्वारा मेरे गोदाम का ताला काटकर सोलर पैनल, बैट्री, इनवर्टर चावल की बोरी आदि उठा ले गए है। वादी की तहरीर पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवचेना के दौरान थाना धानेपुर पुलिस द्वारा प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों–01. सूरज, 02. कुलदीप को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें आज दिनांक 18.09.2024 को वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त प्रदीप कुमार को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा इमलिहवा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. प्रदीप कुमार पुत्र नागेश्वर प्रसाद वर्मा नि0 ग्राम छोटकई डीह मौजा त्रिभुवन नगर ग्रण्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0स0– 246/2024, धारा 331(4), 305, 317(2) बी0एन0एस0 थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 रूदल प्रसाद दूबे
02. हे0का0 बागीश दूबे
03. हे0का0 राम मिलन चौहान

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>सराहनीय कार्य</u>
<u>प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 18.09.2024</u>

<u>'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की से छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व रू0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा-</u>

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त दशरथ सिंह पुत्र राम गोपाल नि0 ग्राम सोखवापुर मौजा बल्लीपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को 03 वर्ष का कारावास व रू0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की से छेडछाड़ करने के आरोप में अभियुक्त दशराथ सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता श्री अनूप प्रताप सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना नवाबगंज के पैरोकार का0 अरूण कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय जज महोदया श्री नम्रता अग्रवाल ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0 कोर्ट गोण्डा ने अभियुक्त दशरथ को धारा 354ए भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- के अर्थदण्ड व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास व रू0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

<u>अभियुक्त का नाम पता-</u>

01. दशरथ सिंह पुत्र राम गोपाल नि0 ग्राम सोखवापुर मौजा बल्लीपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0-211/2019, धारा 354ए भादवि, 7/8 पॉक्सो ऐक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>